

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर, 492002

3295

वि. एवं वि. प्रौ. / 42
26-7-017 2016

क्रमांक एफ 1-45/2014/नौ/सत्रह-एक
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासुपर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़।

विषय:- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लागू ग्रीन कार्ड योजना को समाप्त किए जाने बाबत।

—00—

अविभाजित मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 1433/2819/17/मेडि-2, भोपाल दिनांक 06.07.1990 द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारकों के बच्चों को चिकित्सा महाविद्यालयों/अभियांत्रिक महाविद्यालयों/पॉलिटेक्नीक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिया गया है।

2/ तत्संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 1-45/2014/नौ/17-1, दिनांक 30.07.2014 द्वारा अविभाजित मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2-8-83-सत्रह-मेडि-5 दिनांक 05.01.1985 द्वारा लागू की गई ग्रीनकार्ड योजना को छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समाप्त किया गया इसी क्रम में अविभाजित मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 1433/2819/17/मेडि-2, भोपाल दिनांक 06.07.1990 द्वारा लागू की गई परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारकों के बच्चों को चिकित्सा महाविद्यालयों/अभियांत्रिक महाविद्यालयों/पॉलिटेक्नीक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिये जाने एवं ग्रीनकार्ड योजना के अंतर्गत पति-पत्नी एवं बच्चों को निःशुल्क दवाईयों व आवश्यक चिकित्सा सुविधा को भी एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पंजी
कुं
कुं

25/7/17
HOD's को
25/7/17
25/7/17